Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 73–2018/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक प्रथम मई, 2018
(11 वैशाख, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं।	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं।	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 24/ह०अ० 28/2017/धा०17/2018, दिनांक प्रथम मई, 2018 – हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) नियम, 2018.	425–430
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 25/के०अ० 30/2013/धा०52/2018, दिनांक प्रथम मई, 2018 – भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30) के अध्याय VIII के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सैशन डिवीजन में जिला न्यायाधीश या उसके नामनिर्देशिती को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	431–432
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग – III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम मई, 2018

संख्या–का०आ०24/ह०अ०28/2017/धा०17/2018.– हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) नियम, 2018 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2017 (2017 का 28) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाये जाने का प्रस्ताव करते हैं इसके द्वारा ऐसे उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता हैं, जिनके, इसके प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर सरकार द्वारा, नियमों के प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, नया हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर–17, चण्डीगढ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जायेगा।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं। — संक्षिप्त नाम।

2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– — परिभाषाएं।

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय है, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2017 (2017 का 28);

(ख) 'धारा' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

3. सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों, कार्यों तथा कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :– — सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां, कार्य तथा कर्त्तव्य।

(i) धारा 6 के अधीन नोटिस जारी करना;

(ii) विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त विकल्पों पर तथा उन मामलों में भी जहां निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा व्यक्ति विकल्पों का प्रयोग करने में असफल रहा है, पर विचार करने के पश्चात् धारा 7 के अधीन भूमि का समेकन करने के लिए निर्णय लेना; — धारा 4(2)

(iii) धारा 8 की उप–धारा (1) के अधीन समेकन स्कीम का प्रारूप तैयार करना;

(iv) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आपत्तियों पर निर्णय लेना;

(v) धारा 9 के अधीन अन्तिम समेकन स्कीम तैयार करना;

(vi) इन नियमों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अधिनियम की धारा 10 के अधीन भूमि का कब्जा लेना तथा मुआवजे का वितरण करना अथवा उसके बदले में भूमि का कब्जा सौंपना, जैसी भी स्थिति हो;

4. धारा 5, 8, 9 के अधीन अधिसूचनाएं, अधिसूचित की जायेगी तथा उस क्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा, जिसमें से एक हिन्दी भाषा में होगा। इसे पंचायत/नगरपालिका, जैसी भी स्थिति हो, तथा जिला कलक्टर उपमण्डल मजिस्ट्रेट तथा तहसील के कार्यालयों में सहजदृश्य स्थानों पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी यथा सम्भव उक्त परिक्षेत्र में मुनादी भी की जायेगी। अधिसूचना को राज्य सरकार/एजेन्सी की वैबसाईट पर भी डाला जायेगा। — अधिसूचना की रीति। धारा 5

5. धारा 6 के अधीन प्रत्येक नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से जारी किया जायेगा। यह पंचायत/नगरपालिका में सहजदृश्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसको राज्य सरकार/एजेन्सी की वैबसाईट पर भी डाला जायेगा। धारा 7 के अधीन, विकल्पों का प्रयोग करने के लिए धारा 6 के अधीन प्रत्येक नोटिस, परिशिष्ट 1 के अनुसार प्रोफर्मा में जारी किया जायेगा। — नोटिस। धारा 6

6. (1) धारा 9 के अधीन अन्तिम समेकन स्कीम की अधिसूचना के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों को नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उन्हें भूमि को खाली करने तथा सक्षम प्राधिकारी को भूमि का खाली कब्जा सौंपने का नोटिस जारी करेगा। यदि निर्धारित समय के भीतर नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो सक्षम अधिकारी को आगे कोई नोटिस दिये बिना वास्तविक कब्जा लेने का हक होगा। भौतिक कब्जा दो स्वतन्त्र गवाहों की उपस्थिति में लिया जायेगा। — कब्जा। धारा 10

(2) सक्षम प्राधिकारी व्यक्ति को अन्तिम चकबन्दी योजना के अन्तर्गत उस व्यक्ति को दी गई भूमि का कब्जा लेने का नोटिस जारी करेगा तथा दो स्वतन्त्र गवाहों की उपस्थिति में नोटिस में निर्धारित की गई तिथि को उस व्यक्ति को कब्जा देगाः

परन्तु यदि कोई व्यक्ति निर्धारित तिथि पर कब्जा लेने के लिए आगे नहीं आता है तो उसको यह हक होगा कि वह सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसी तिथि, जो निर्धारित की जाए, पर कब्जा ले सकेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति अन्तिम समेकन योजना के अन्तर्गत मुआवजा के लिए हकदार है, तो सक्षम अधिकारी उसको अन्तिम योजना के अन्तर्गत देय धनराशि को वर्णित करते हुए नोटिस जारी करेगा तथा उस धनराशि को उसके द्वारा दिए गए बैंक खाते में सीधा जमा कराया जायेगा।

अधिकारो का अभिलेख।

धारा 11

7. सक्षम अधिकारी अन्तिम समेकन योजना को सम्बन्धित विभाग को भेजेगा ताकि भूमि का इन्तकाल सम्बन्धित व्यक्ति या सरकार या एजैन्सी, जैसी भी स्थिति हो, के पक्ष में अन्तिम समेकन योजना के अनुसार किया जा सके तथा राजस्व अभिलेख को अद्यतन करने के लिए अधिकारों का एक नया अभिलेख तैयार किया जा सके।

आवेदन दायर करने के लिए सीमा अवधि।

धारा 12

8. धारा 12 के अधीन आवेदन सक्षम अधिकारी द्वारा पास किये गये आदेश के विरुद्ध छह मास के भीतर राज्य सरकार के समकक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, परन्तु सक्षम अधिकारी किसी आवेदन पत्र को सीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी स्वीकार कर सकता है, यदि वह सन्तुष्ट हो जाता है कि ऐसी अवधि के भीतर आवेदन दायर करने में देरी के लिए उसके पास पर्याप्त कारण हैं।

परिशिष्ट–1

(देखिए नियम 5)

प्रेषित :.....

सन्दर्भ : हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अन्तर्गत विकल्प प्रयोग करने के लिए धारा 6 के अन्तर्गत नोटिस।

आपको इसके द्वारा निम्न प्रकार से सूचित किया जाता हैः

1. कि हरियाणा राज्य ने हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा..... की स्थापना के लिए हरियाणा समेकन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2017 के उपबन्धों के अधीन परियोजना भूमि अधिसूचित की है।

2. कि राज्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम का परियोजना भूमि का 70 प्रतिशत स्वामित्व है।

3. कि परियोजना भूमि के बचे हुए क्षेत्र को हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2017 (इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में सन्दर्भित किया गया है) के उपबन्धों के अधीन समेकित किया जायेगा।

4. कि राजस्व अभिलेख के अनुसार आप तहसील ..... जिला..... हरियाणा में स्थित गाँव .... में खसरा संख्याओं में आने वाली ..... माप की भूमि के स्वामी हैं, जो कि परियोजना भूमि के भाग के रूप में अधिसूचित की गई है।

5. कि अधिनियम की धारा–7 के उपबन्धों के अनुसार परियोजना भूमि के समेकन के लिए आपके उपरोक्त स्वामित्व वाली भूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित विकल्पों में से एक का प्रयोग करने के लिए इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है, अर्थात् : –

   (क) राज्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम द्वारा परियोजना की भूमि के साथ लगती हुई भूमि के विक्रय अथवा ऐसी भूमि के लिए कलैक्टर दर तथा 20 प्रतिशत अतिरिक्त, जो भी अधिक हो, की दर से मुआवजे की माँग करना : या

   (ख) उसी राजस्व सम्पदा में समान मूल्य का भूमि के समान क्षेत्र जैसे कि ..... या उसी राजस्व सम्पदा में ऐसी भूमि की अनुपलब्धता के मामले में सीमावर्ती राजस्व सम्पदा में, जैसे कि ..... जैसी भी स्थिति हो, माँग करना।

6. कि आपको उपरोक्त विकल्पों में से कोई एक चुनना है तथा अपने विकल्प की लिखित सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पते पर इस नोटिस के जारी होने की तीथि से इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर सूचित की जानी है।

7. कि निर्धारित अवधि के भीतर यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि समेकन मामले में निर्णय ले लेगा।

अधिनियम 2017 के अधीन
उप–मण्डल–अधिकारी(नागरिक)–एवं–सक्षम प्राधिकारी।

केशनी आनंद अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

PART - III

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 1st May, 2018

No. S.O.-24/H.A. 28/2017/S. 17/2018 .—The following draft of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Rules,2018, which the Governor of Haryana proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 17 of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017 (28 of 2017), is hereby published for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry of period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, in writing, which may be received by the Administrative Secretary to Government, Haryana, Revenue and Disaster Management Department, New Haryana Civil Secretariat, Sector 17, Chandigarh, from any person with respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

Short Title.

1. These rules may be called the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Rules, 2018.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017 (28 of 2017);

(b) "section" means a section of the Act;

(2) Words and expressions used herein not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Powers, functions and duties of competent authority.
section 4(2)

3. The competent authority shall exercise the following powers, functions and duties, namely:-

(i) to issue notices under section 6;

(ii) to take a decision to consolidate the land under section 7 after considering the options received from different persons and also in cases where such a person fails to exercise the options within the stipulated time period;

(iii) to prepare the draft consolidation Scheme under sub-section (1) of section 8;

(iv) to decide the objections under sub-section (2) of section 8;

(v) to prepare the final consolidation scheme under section 9;

(vi) to take possession of lands and disburse the compensation or hand-over possession of lands in lieu thereof, as the case may be, under section 10 as per procedure laid down under these rules;

Manner of Notification.
Section 5

4. Notifications under sections 5, 8, 9 shall be notified and also be published in two daily newspapers having circulation in the area, of which one shall be in Hindi. It shall also be exhibited at some conspicuous places in the Panchayat/Municipality, as the case may, be and in the offices of District Collector, Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil. It shall also as far as possible be proclaimed in the said locality be conducting munadi. The notification shall also be uploaded on the website of the State Government/agency.

Notice.
Section 6

5. Every notice under section 6 shall be issued by way of registered post. It shall also be exhibited at some conspicuous places in the Panchayat/ Municipality. It shall also be uploaded on the website of the State Government/agency. Every notice under section 6 for exercising options under section 7 shall be issued in the proforma as per Appendix-I.

Possession.
Section 10

6. (1) After notification of the final consolidation scheme under section 9, the competent authority shall issue notice to such persons requiring them to vacate the land within a period of fifteen days of the land to the competent authority. If the notice is not complied within the specified time, the competent authority shall be entitled to take over physical possession without any further notice. The physical possession shall be taken over in the presence of two independent witnesses.

(2) The competent authority shall issue notice to the person for taking over possession of the land granted to such person under the final consolidation scheme and shall deliver the possession to such person on the date specified in the notice in presence of two independent witnesses:

Provided that if the person does not come forward to take over the possession on the specified date, he shall be entitled to take possession of the land granted to him on such date, as may be specified by the competent authority.

(3) If the person is entitled for compensation under the final consolidation scheme, the competent authority shall issue him notice specifying the amount payable to him under the final consolidation scheme and the same shall be deposited directly in his bank account as provided by him.

Record of Rights. Section 11

7. The competent authority shall forward the final consolidation scheme to the concerned department to mutate the land in favour of respective person or Government or agency, as the case may be, as per the final consolidation scheme and to update the revenue record in order to prepare a new record of rights in due course.

Limitation for filling application. section 12

8. An application under section 12 shall be made within six months against the order passed by the competent authority before the State Government:

Provided that State Government may admit the application even after expiry of limitation period if it is satisfied that there is sufficient reason for delay in filling the application within such period.

Appendix 'I'

(see rule 5)

To,

.....,

Re: Notice under section 6 to exercise option under section 7 of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017.

You are hereby informed as under :

1. That, State Government vide Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, notification No....., dated the .....has notified the project land under the provisions of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017 for setting up.....
2. That, State Government/Department/Board/Corporation owns seventy percent of the project land.
3. That remaining area of the project land is to be consolidated under the provisions of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017 (hereinafter referred to as the Act).
4. That as per the revenue record you are the owner of the land measuring.....falling in (KhasraNos).....situated in Village(s)..... Tehsil..... District..... Haryana which is part of the land notified as the project land.
5. That in order to consolidate the project land as per provisions of Section 7 of the Act, this notice is hereby given calling upon you to exercise either of the following options with respect to the land owned by you and as mentioned above; namely :-
   (a) to seek compensation at the rate at which the adjoining land of the project was purchased by State Government/Department/Board/Corporation or at the collector rate for such land plus twenty percent extra, whichever is higher; or
   (b) to seek an equal area of land of equal valuation in the same revenue estate *viz.* ..... or in case of non-availability of such land in the same revenue estate, then in an adjoining revenue estate viz....., as the case may be.
6. That, you are required to opt for anyone of the above options and intimate your option in writing to the under-signed at the official address within a period of twenty one days from the date of issue of this notice.
7. That, in case no intimation is received or no option is exercised within the stipulated period, the undersigned shall decide the matter of consolidation of the land in exercise of the powers under the Act.

Authority under the Act, 2017
Sub-Division Officer (Civil)-cum- Competent

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner
to Government Haryana, Revenue and Disaster
Management Department.

56239—L.R.—H.G.P., Chd.